न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 17/508

1. अमर लाल आत्मज औगडी लाल जी ।
2. बाबूलाल आत्मज औगडी लाल जी ।
3. किशन लाल आत्मज औगडी लाल जी ।
4. सुगना बाई पुत्री औगडी लाल जी ।
5. मूर्ति बाई पुत्री औगडी लाल जी ।
6. सियाणी बाई औगडी लाल जी जाति धाकड निवासी ग्राम बरगू तहसील दीगोद जिला कोटा ।

——अपीलान्ट

बनाम

1. लक्ष्मीनारायण आत्मज फून्दीलाल जी जाति धाकड ।
2. रामकिशन आत्मज नन्दा जी जाति धाकड ।
3. बलराम आत्मज ग्यारसा जाति धाकड ।
4. नन्द किशोर आत्मज ग्यारसा जी जाति धाकड ।
5. अयोध्या बाई पुत्री ग्यारसा जी जाति धाकड ।
6. कान्ही बाई पुत्री ग्यारसा जी जाति धाकड ।
7. रघुनाथी बाई बेवा ग्यारसा जी जाति धाकड निवासीगण ग्रामक बरगू तहसील दीगोद ।
8. सूरजमल आत्मज गैदिया जी जाति धाकड ।
9. रामनाथ आत्मज गैंदिया जी जाति धाकड निवासीगण ग्राम डंगावद तहसील दीगोद जिला कोटा ।
10. बिरधीलाल आत्मज लक्ष्मीनारायण जी जाति धाकड ।
11. भीमराज आत्मज लक्ष्मीनारायण जी जाति धाकड ।
12. मोडूलाल आत्मज लक्ष्मीनारायण जी जाति धाकड निवासीगण ग्राम डंगावद तहसील दीगोद जिला कोटा ।
13. भैरूलाल आत्मज ग्यारसा जी जाति मीणा ।
14. राजाराम आत्मज ग्यारसा जी जाति मीणा ।
15. कंचन बेवा ग्यारसा जी जाति मीणा निवासीगण ग्राम बरगू तहसील दीगोद जिला कोटा।
16. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, दीगोद ।

——रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री चन्द्रमोहन शर्मा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 18.10.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.05.2017 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट कम 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम बरगू तहसील दीगोद जिला कोटा में कुल 07 किता की 6.15 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त खाते एवं कब्जे काश्त में है । इसके अलावा ग्राम बरगू में खतौनी संख्या नयी 02 पुरानी 02 के खसरा नम्बर 157 रकबा 6.05 हैक्टर भूमि स्थित है जिसमें वादी का 1/12 हिस्सा एवं प्रतिवादीगण कम 1/1 से 1/6 का 1/12 हिस्सा निहित है । वादग्रस्त आराजी का पक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजन नहीं हुआ है । वादी को वादग्रस्त आराजी का विधिवत विभाजन कराने का अधिकार है ।

3. ग्राम बरगू की कृषि भूमि खेवट खतौनी संख्या नयी 03 पुराना 02 में कुल 07 किता की रकबा 6.15 हैक्टर आराजी में वादी का 1/2 एवं प्रतिवादीगण कम 1/1 से 1/6 का 1/2 हिस्सा खाते में दर्ज है ।

4. अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादपत्र की मद संख्या 02 एवं 2 (अ) में वर्णित एवं अंकित भूमि खसरा नम्बर 54, 55, 57/468, 268, 269, 376, 383 एवं 157 कुल 08 किता की कुल 12.20 हैक्टर का बाई पार्टस एण्ड बाउण्ट बंटवारा कर वादी के 1/2 एवं 1/12 हिस्से की भूमि पर वादी को स्वतंत्र रूप से खातेदार कृषक घोषित किया जावे व प्रथक से लगान कायम किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे तथा प्रतिवादीगण कम 1 से 6 का 1/12 हिस्सा घोषित किया जावे । तद्नुसार वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध डिक्री पारित की जावे ।

5. प्रतिवादीगण कम 1 से 6 ने जवाबदावा पेश कर वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए वादी का वादपत्र खारिज करने का निवेदन किया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय दिनांक 15.05.2017 से दावा वादी स्वीकार करते हुए विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री पारित कर दी ।

7. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.05.2017 से व्यथित होकर अपीलान्ट प्रतिवादी कम 1/1 लगायत 1/6 ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुचित सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना ही रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत वाद को डिक्री कर दिया । दोनों वादग्रस्त आराजी में फून्दीलाल जी के दोनों पुत्र लक्ष्मीनारायण व ओगडी लाल का समान हिस्सा एवं स्वत्व था जिन्होंने दिनांक 05.10.1965 को अपने दोनों पुत्रों के मध्य पारिवारिक विभाजन कर एक तहरीर

आलेखित कर दी जिस पर दोनों भाईयों की सहमति थी । लोक अदालत की अपीलान्ट को कोई सूचना नहीं दी गई । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.05.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

8. अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री की कोई जानकारी नहीं थी । उक्त निर्णय एवं डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 10.09.2017 को बताने पर हुई जिस पर वकील साहब से सम्पर्क कर नकल का आवेदन पत्र पेश कर दिनांक 13.09.2017 को नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

9. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

10. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना दावे को डिक्री किया है । पारिवारिक बंटवारे के अनुसार पक्षकारान अपने–अपने हिस्से पर काबिज हैं । इस तहरीर को नजरअन्दाज कर निर्णय व डिक्री पारित की गई है अपीलान्ट को नोटिस नहीं दिया गया और न ही लोक अदालत में उपस्थित होने की कोई जानकारी थी । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.05.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

11. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत की भावना से पक्षकारान की उपस्थिति में निर्णय पारित किया है जो विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.05.2017 बहाल रखा जावे ।

12. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होत हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

13. अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली प्रतिवादी कम 8 और 9 की तामील में लम्बित थी और इसे लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में वादी और प्रतिवादी संख्या 1/1 उपस्थित हुए हैं, शेष पक्षकारान उपस्थित नहीं हुए हैं । पक्षकारान के द्वारा कोई विधिक राजीनामा भी पेश नहीं किया गया है और उसी दिन गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करते हुए विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित की गई है ।

लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभय पक्षकारान उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश करे । इसके अभाव में दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात पर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट रूप से निष्कर्ष पारित करते हुए सीपीसी की पालना करते हुए विधि सम्मत रूप से गुणागवुण के आधार पर निर्णय पारित करना होता है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

15. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर दोनों अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती हैं । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.05.2017 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन दिशा निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे पक्षकारान को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए गुणावगुण के आधार पर तनकीवार विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 09.12.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

16. निर्णय आज दिनांक 18.10.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

18/10/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा